न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

——

प्रकरण संख्या– 122 / 2022 दिनांक 19.05.2022

उनवान

1. प्रेम सिंह पिता बरदी सिंह जी जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
2. सुखी कुंवर पत्नि स्व. नरवर सिंह जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
3. कान सिंह पिता स्व नरवर सिंह जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
4. प्रकाश पुत्री स्व. नरवर सिंह जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
5. कोशल्या पुत्री स्व. नरवर सिंह जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तह. भदेसर
6. देउ पुत्री स्व. नरवर सिंह जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील
7. रीना पुत्री स्व. नरवर सिंह जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील

——वादीगण

//बनाम//

1. गुमान सिंह पिता बरदी सिंह जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
2. मोहन सिंह पिता बरदी सिंह जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
3. रूप सिंह पिता बरदी सिंह जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
4. नानी बाई पत्नि रूप सिंह जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
5. भैरू पिता देवा जाति राव उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर
6. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज.

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 रा0 का0 अधि0

वादीगण की ओर से– श्री सुरपाल सिंह वकील

प्रतिवादीगण की ओर से – नरेन्द सिंह पंवार वकील।

वाद वादीगण अंतर्गत आदेश 7 नियम 1,2 जा0 दि0 निम्न प्रकार पेंश है।

मौजा नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत 2076 के प्ररिशिष्ठ अ में खाता संख्या 356 पर दर्ज आराजी नम्बर 936 रकबा 0.27 हैक्टर, आराजी नम्बर 937 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0. 42 हैक्टर, परिशिष्ठ ब में खाता संख्या 224 में दर्ज आराजी न0 933 रकबा 0.66 हैक्टर, आराजी न0 934 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 हैक्टर प्ररिशिष्ठ स में खाता संख्या 223 में दर्ज आराजी न0 938 रकबा 0.15 हैक्टर , आराजी न0 949 रकबा 0.23 हैक्टर, आराजी न0 957 रकबा 0.22

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला- चित्तौड़गढ़

हैक्टर ,आराजी न0 959 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 हैक्टर भूमि दर्ज रेकॉर्ड है व साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2076 संलग्न है।

वाद पत्र की कॉलम संख्या 2 में नाहरगढ की कृषि आराजियात में परिशिष्ठ अ में उदय सिंह पिता सोहन का 1/6 हक हिस्सा प्ररिशिष्ठ ब में उदयसिंह पिता सोहन का 1/6 हक हिस्सा एवं परिशिष्ठ स में उदय सिंह पिता सोहन का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है।

स्व. उदयसिंह पिता सोहन के कोई जायंदा संतान नही होने के कारण वादीगण ने ही उनकी आजीवन सेवा चाकरी, भरण पोषण, बीमारी में ईलाज इत्यादी कराया उनकी मृत्यु उपरान्त होने वाले समस्त सामाजिक व धार्मिक दायित्वों का निर्वहन भी वादीगण ने ही किया एवं इसमें होने वाला खर्च भी वादीगण ने ही वहन किया वादी संख्या 1 प्रेमसिंह, वादी संख्या 2 का पति 3 से 7 का पिता नरवर सिंह से खुश होकर उदय सिंह अपने जीवनकाल में ही अपने हक हिस्से की कृषि आराजियात को दिनांक 24.10.2005 को जरिये वसियतनामा टाईप करा कर गवाहों की मौजुदगी में अपने व गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर भूमि वादीगण के नाम हस्तान्तरित कर गई है तभी से वादीगण परिशिष्ठ अ, ब, स में उदय सिंह पिता सोहन के हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण उदय सिंह पिता सोहन के जीवनकाल में ही उनके हक हिस्से वाली आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जिससे वादीगण को उदयसिंह द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयतनामा दिनांक 24.10.2005 के आधार पर वादीगण को परिशिष्ठ अ उदयसिंह पिता सोहन 1/6 हक हिस्सा परिशिष्ठ ब में उदय सिंह पिता सोहन का 1/6 हक हिसा, परिशिष्ठ स में उदयसिंह पिता सोहन का 1/2 हक हिस्से वाली आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक होने से यह वादपत्र खातेदारी घोषणा का पेंश किया है।

यह कि वरदा के बनने वाले हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तो वादीगण को कोई आप्पति नही है विवादित आराजियात पर वादीगण उदयसिंह के जीवनकाल से ही निर्बाध रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा वर्तमान भी वादीगण ही विवादित आराजियात पर शान्तिपुर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अंकित नही होंने के कारण एवं प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ जाने से उदय सिंह की आराजियात को अपनें नाम करने पर उतारू हो रहे है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करते रहते है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला- चित्तौड़गढ़

निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं के न किसी अन्य से करावें

बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 22.04.2022 को प्रतिवदीगण के द्वारा मौके पर आकर वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारीत फरमायी जाकर वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में कृषि आराजियात परिशिष्ठ अ उदय सिंह के नाम 1/6 हक हिस्सा परिशिष्ठ ब में उदयसिंह का 1/6 हक हिस्सा, एवं परिशिष्ठ स में उदयसिह का 1/2 हक हिस्से वाली आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम अंकन कराया जाने की आज्ञप्ति पारीत फरमायी जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादीगण की कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे और न ही किसी अन्य से करावें एवं आराजियात का किसी अन्य को रहन बक्षीस व दिगर तरिके से मुंतकील न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्न तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर सें अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह पंवार ने पावर पेंश कर जवाब दावा एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3 की ओर काउन्टरक्लेम प्रस्तुत किया जिसकी नकल वकील वादी को उपलब्ध करवाई गई, वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब सहमति का प्रस्तुत किया गया है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर निम्नानुसार पेंश है।

1. यह कि वाद पत्र के परिशिष्ठ अ में वर्णित खाता संख्या 356 पर दर्ज आराजी न0 936 रकबा 0.27 है0 आराजी न0 937 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 परिशिष्ठ ब में वर्णित खाता संख्या 224 पर दर्ज आराज न0 933 रकबा 0.66 है0, आराजी न0 934 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 है0 कृषि भूमि ग्राम नाहरगढ में अंकित है
2. यह कि वरदा पुत्र लक्षमन के हक हिस्से की कृषि आराजियात प्रतिवादी 1 से 3 के नाम दर्ज करवाने के लिये वादीगण भी सहमत है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के प्राकृतिक पिता वरदा पिता लछमन के हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें जिसमें वादीगण सहमत है, वरदा की सेवा चाकरी सामाजिक

उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़

व धार्मिक दायित्वों का निर्वहन प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के द्वारा किया गया वरदा की मृत्यु परान्त भी उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि मे चली आ रही है वरदा की मृत्यु परान्त भी परिशिष्ठ अ में खाता संख्या 356 में दर्ज आराजी 936, 937 में 1/3 हक हिस्सा मे वर्णित खाता संख्या 224 पर दर्ज आराजी न0 933, 934 1/3 हक हिस्सा निहित है व राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 अपनी खातेदारी में घोषित कराने का कानुनन अधिकार होने से यह काउन्टर वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा का पेंश किया है।

3. यह कि वरदा दत्तक पुत्र लक्षमन की कृषि आराजियात परिशिष्ठ अ, ब पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 लगभग 20–25 वर्षो से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है किन्तु वरदा की मृत्यु परान्त भी परिशिष्ठ अ वाली कृषि आराजियात में 1/3 हक हिस्सा व परिशिष्ठ ब वाली में 1/3 हक हिस्सा आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 अपने खातेदारी में घोषित कराने कानुनी अधिकारी होने से भी यह काउन्टर वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा का पेंश किया है।

अतः प्रार्थना है कि जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 गुमान सिंह, व प्रतिवादी संख्या 2 मोहन सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 रूपसिंह को परिशिष्ठ अ में वर्णित खाता संख्या 356 में दर्ज आराजी न0 936, आराजी न0 937 एवं परिशिष्ठ ब में वर्णित खाता संख्या 224 में दर्ज आराजी संख्या 933, आराजी न0 934 कृषि भूमि में वरदा पिता दत्तक पुत्र लछमन का 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की डिक्री पारीत फरमायी जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वदग्रस्त आराजियात, परिशिष्ठ अ में उदयसिंह पिता सोहन 1/6 हक हिस्सा परिशिष्ठ ब में उदयसिंह पिता सोहन 1/6, परिशिष्ठ स में उदयसिह पिता सोहन का 1/2 हक हिस्सा को वादीगण के नाम खातेदार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या 1 गुमानसिह, प्रतिवादी संख्या 2 मोहन सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 रूपसिंह को पशिष्ठ अ में वणिर्त खाता संख्या 356 एवं परिशिष्ठ ब में वर्णित खाता संख्या 224 में वरदा दत्तक पुत्र लछमन के निहित 1/3 हक हिस्से को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोंचित है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख अधोपरान्त अवलोकन किया गया विद्यवान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर न्यायालय वादीगण के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम नाहरगढ की कृषि आराजियात परिशिष्ठ अ की खाता संख्या 356 पर दर्ज आराजी न0 936 रकबा 0.27 है0, आराजी न0 937 रकबा 0.15 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 में वादीगण को उदयसिंह पिता सोहन का 1/6 हक हिस्सा का खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 को वरदा दत्तक पुत्र लछमन का 1/3 हक हिस्सा का खातेदार ,काश्तकार घोषित किया जाता है परिशिष्ठ ब में खाता संख्या 224 पर दर्ज आराजी न0 933 रकबा 0.66 है0 आराजी न0 934 रकबा 0.01 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 है0 में वादीगण को उदयसिंह पिता सोहन का 1/6 हक हिस्सा का खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 को वरदा दत्तक पुत्र लछमन का 1/3 हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है परिशिष्ठ स की खाता संख्या 223 पर दर्ज आराजी 938 रकबा 0.15 है0, आराजी न0 949 रकबा 0.23 है0 आरजी न0 957 रकबा 0.22 है. आराजी न0 959 रकबा 0.20 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है0 में वादीगण को उदयसिंह पिता सोहन का 1/2 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावें इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
जिला - चित्तौड़गढ़